नगर निगम भिलाई ने 9 दुकानों को किया सील

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 17 आकाशगंगा परिसर के दुकानों को निगम ने सीलबंद किया। निगम द्वारा व्यवसाय हेतु अकाशगंगा परिसर में दुकान उपलब्ध कराया गया था। उक्त सभी दुकानों का प्रतिमाह किराया निर्धारित किया गया है, किन्तु व्यवसायियों द्वारा किराए में हुई वृद्धि की राशि जमा नहीं की गई थी। सभी दुकानदारों को हुए किराए में वृद्धि के संबंध में किराया जमा करने नोटिस जारी किया गया था, किन्तु निर्धारित अवधि मे किराये की राशि निगम कोष में जमा नहीं किए जाने के कारण दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया था तत्पश्चात दुकानों को सीलिंग किया गया है । किराये की राशि लंबित होने के कारण किराया राशि में वृद्धि हो गई है। आकाश गंगा व्यावसायिक परिसर एवं नगर निगम के अन्य परिसरों में भी किराया वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है। आवंटितो द्वारा किराया राशि जमा नहीं किए जाने पर निगम द्वारा निरंतर इस तरह की कार्रवाई की जावेगी। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर निगम उपायुक्त डी के कोसरिया, जोन 1 के राजस्व विभाग एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा 9 दुकानों को सीलबंद करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा, अनुरेखक उन्मेश साहू, सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी, प्रसन्न तिवारी, बसंत देवांगन, बेदखली सहायक प्रभारी हरिओम गुप्ता, बेदखली टीम के कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।